जीसीएमएस नं. 2013/00061

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 22/2013

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. लाभ सिंह पुत्र गुरदित्ता सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 27 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर।
2. प्रताप सिंह पुत्र गुरदित्ता सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 27 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर।
3. दिलबाग सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 27 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर।
4. रतीराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी 27 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर (मृतक)।

4/1 कस्तूरी देवी पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी 27 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर।

4/2 साहबराम पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी 27 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर।

4/3 कृष्ण लाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी 27 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर।

4/4 रणजीत पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

4/5 गिरदावरी पत्नी स्व0 रामप्रताप पुत्र श्री रतीराम निवासी 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

4/6 भूप सिंह पुत्र स्व0 रामप्रताप पुत्र श्री रतीराम निवासी 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

4/7 हरीश कुमार पुत्र स्व0 रामप्रताप पुत्र श्री रतीराम निवासी 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

4/8 शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 शंकर लाल पुत्र श्री रतीराम निवासी 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

4/9 राजपाल पुत्र स्व0 शंकर लाल पुत्र श्री रतीराम निवासी 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

4/10 रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 शंकर लाल पुत्र श्री रतीराम निवासी 3 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

4/11 पूनम देवी पत्नी स्व0 शंकर लाल पुत्र श्री रतीराम निवासी नग्गी तहसील श्रीकरनपुर

4/12 तुलसी देवी पुत्री श्री रतीराम पत्नी लालचन्द निवासी बहिया तहसील राणीयां जिला सिरसा हरियाणा।

4/13 कलावती पुत्री रतीराम पत्नी मनीराम निवासी 2 पी.बी.एम. तहसील हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार बूनावढ दिनांक 21.12.204 जिसकी रूह से चक 27 जी.जी. के 3 खातों , खाता संख्या 84/84, 85/86, व 41/41 की भूमि का विभाजन करते समय बिना सभी सह–काश्तकारों की सहमति के ही किला वाईज जोत विभाजन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के बीच में करने का गलत आदेश जेर अपील पारित किया गया है बमुराद मन्सूखीयां।

उपस्थित :

1. श्री गुरजीत सिंह बानर, राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. सुभाष मिढा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1,2,3, 4/2,4/3, 4/4
3. रेस्पोडेन्ट संख्या– 4/5 से 4/10 एक्स पार्टी

:: **आदेश** ::

दिनांकः–09.06.2026

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं किः–

1. यह कि आदेश जेर अपील अदालत मातहत जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल अपील हाजा है, गलत ,खिलाफ , कानून, खिलाफ वाकेआत तथा रूएदाद मिसल के है इसलिए काबिल इखराजी के है।
2. यह कि अदालत मातहत के समक्ष जो जोत विभाजन सहमति से करवाए जाने का पेश किया गया वह वास्तव में 3 खातों चक 27 जीजी के खाता संख्या 84/84, 85/86 व 41/41 के रकबा का किया गया तथा इन तीन खातों में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के अलावा अनेको सह–हिस्सेदारो के नाम दर्ज है। जमाबन्दी की नकले शामिल है। अतः बिना अन्य हिस्सेदारों , सह–खातेदारो की सहमति के किला वाईज विभाजन कानूनन नहीं हो सकता था तथा इसके लिए अदालत मातहत को कोई अधिकार हासिल नहीं था बल्कि सहायक जिलाधीश अथवा उपजिलाधीश का अधिकार क्षेत्र है तथा अदालत मातहत का आदेश स्पष्ट तौर से अविधिक विधि विरूद्व तथा शुन्य है क्योंकि अदालत मातहत को केवल सभी की सहमति के आधार पर ही जोत विभाजन का अधिकार है। इस प्रकार से बिना सह–खातेदारान की सहमति के जोत विभाजन का कोई अधिकार अदालत मातहत को कतई हासिल नहीं था। अतः आदेश जेर अपील गलत पारित किया गया है, इसलिए निरस्त करने योग्य है। जमाबन्दी की नकले शामिल है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि उक्त तीन खातो में अन्य कितने हिस्सेदारान है तथा इन सभी को बुलाया जाकर बयान लिये जाकर सहमति लेनी आवश्यक थी मगर अदालत मातहत ने किसी को ना तो बुलाया ना ब्यान लिए ना ही सहमति ली गई। इस प्रकार से अदालत मातहत ने आदेश जेर अपील गलत पारित किया है। बिना सहमति के खाता विभाजन करने का अधिकार केवलमात्र सहायक जिलाधीश /उपजिलाधीश में ही निहित करता है तथा अदालत मातहत को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः जेर अपील जाहिरा तौर से ही ना केवल गलत है व बिना अधिकार के पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य ही है।
3. यह कि खाता संख्या 84/84 में भोली देवी के वारिसान के नाम भी अंकित है मगर सभी को नहीं बुलाया गया है ना ही सहमति दर्शाई है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

4. यह कि यह मामला धारा 48 आरटीएक्ट व धारा 24—ए आरटीएक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया गया है जबकि धारा 48 आरटीएक्ट के अनुसार इस प्रकार के मामला में आदेश पारित करना कतई गलत है क्योंकि यह स्टाम्प ड्यूटी रजि0 शुल्क की चोरी तथा राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वाला मामला बनता है मगर अदालत मातहत ने इस पर कतई गोर नहीं किया है। अतः आदेश जेर अपील गलत है बिना अधिकार के है क्योंकि इस प्रकार से धारा 48 के लिए विधिवत् तौर से दस्तावेज का पंजीयन करवाना आवश्यक है तथा धारा 24 ए.ए. के अधिकार भी उपजिलाधीश में ही निहित करते है। अदालत मातहत में कतई निहित नहीं करते है। अतः आदेश जेर अपील विधि विरूद्ध अविधिक तथा शुन्य है तथा हर प्रकार से ही निरस्त करने योग्य ही है क्योंकि बिना अधिकार के पारित किया गया है।
5. यह कि जो दस्तावेज अदालत मातहत के समक्ष पेश किया गया उसको तबादला का नहीं बताया गया है उसको विभाजन का ही बताया गया है जबकि अदालत मातहत ने अपने आदेश में तबादला यानि धारा 48 का मामला मानकर आदेश पारित किया है, इस प्रकार से यह स्पष्ट था कि अदालत मातहत को ऐसे दस्तावेज पर कोई भी कार्यवाही ना करके दस्तावेज को लोटा देना चाहिए था। ऐसा ना करके आदेश जेर अपील पारित करने में भारी कानूनी भूल की गई है।
6. यह कि तबादला में भी केवल समान भूमि का ही किया जाने का प्रावधान है, मगर मामला हाजा में आदेश जेरे अपील से किसी प्रकार से समान भूमि का तबादला होना स्पष्ट नहीं होता है। अतः आदेश स्पष्ट तौर से ही गलत पारित किया गया है।
7. यह कि आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई भी कानूनी अथवा न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया ना ही नियमों का ध्यान रखा गया है। अतः आदेश जेर अपील शुन्य बिना अधिकार के है व खिलाफ कानून ही पारित किया गया है।
8. यह कि अन्य वजुहाज बरवक्त बहस अज किए जावेगें जिन के आधार पर अपील काबिल मन्जूरी के है। भोली मृतक के वारिसान की भूमि जो रेस्पोडेन्ट को दी गई है वह स्पष्ट तौर से गिफट की ही परिभाषा में आती है तथा गिफट को स्वीकृत करने का अधिकार अदालत मातहत में निहित नहीं करता बल्कि दस्तावेज का पंजीयन होना जरूरी होता है।
9. यह कि अपील काबिल समाअत अदालतवाला है तथा आदेश के बाद पत्रावली विधि परीक्षण में जाने तथा जांच में अन्य 9 पत्रावलीयों के साथ जाने व जांच रिपोर्ट 07.05.2010 को आने पर जिलाधीश श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 2446 दिनांक 17.05.2010 से अपील करने का लिखा। इसी बीच में तहसीलदार की ड्यूटी नरेगा कार्यो में, जनगणना कार्य में, व तूडी की टाल को हटवाने में लग जाने व अन्य आवश्यक राजकीय कार्यो में लगी होने से पत्रावली में नकल हासिल करने की कार्यवाही 22.06.2010 को की तथा नकल लेकर अपील इससे अन्दर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मियाद पेश की जा रही है। इस प्रकार से 22.06.2010 से पहले पत्रावली के बारे में अन्य कार्यो की व्यस्तता के कारण पता नहीं चल पाया। अतः इल्म से अपील अन्दर मियाद पेश है। दफा 5 एक्ट मियाद व हलफनामा पेश है।

लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त फरमाया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 4/5 से 4/10 तामिल होने के बावजूद आदिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, उनके विरूद्व एक्स पार्टी आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 4/11 से 4/13 अदम पता होने पर लगातार तामील करवाई जाने के बावजूद तामील नहीं हो सकी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 व 4/2 से 4/4 के अधिवक्ता द्वारा नोइस्टेक्शन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 व 4/2 से 4/13 को बार-बार रूक-रूक कर अलग-अलग समय पर आवाजे लगाई गई, परंतु वे उपस्थित नहीं हुए।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि जो जोत विभाजन सहमति से करवाए जाने का पेश किया गया वह वास्तव में 3 खातों चक 27 जीजी के खाता संख्या 84/84, 85/86 व 41/41 के रकबा का किया गया तथा इन तीन खातों में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के अलावा अनेको सह-हिस्सेदारो के नाम दर्ज है। बिना अन्य हिस्सेदारों , सह-खातेदारो की सहमति के किला वाईज विभाजन कानूनन नहीं हो सकता था तथा इसके लिए अदालत मातहत को कोई अधिकार हासिल नहीं था बल्कि सहायक जिलाधीश अथवा उपजिलाधीश का अधिकार क्षेत्र है तथा अदालत मातहत का आदेश स्पष्ट तौर से अविधिक विधि विरूद्ध तथा शुन्य है क्योंकि अदालत मातहत को केवल सभी की सहमति के आधार पर ही जोत विभाजन का अधिकार है। बिना सह-खातेदारान की सहमति के जोत विभाजन का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। तीनों खातों के मुश्तरका खाता ना होने से जो जोत विभाजन किया गया है, वह जोत विभाजन की परिभाषा में ना आकर तबादला तथा गिफ्ट की परिभाषा में आता है। अतः इसका अधिकार अदालत मातहत को न होने से आदेश बिना अधिकार गलत शून्य है तथा निरस्त करने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार, चूनावढ़ की बंटवारा पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम 27 जीजी पटवार हल्का 27 जीजी के 3 खातों क्रमशः खाता संख्या 84/84 के 2.024 हैक्टेयर, खाता संख्या 85/86 के 3.667 हैक्टेयर व खाता संख्या 41/41 के 3.256 हैक्टेयर भूमि का लाभसिंह पुत्र श्री गुरदित्त सिंह, प्रताप सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह व रतीराम पुत्र श्री नन्दराम निवासीयान 27 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मध्य सहमति के आधार पर विवादित रकबा का विभाजन किया गया है। नायब तहसीलदार, चूनावढ़ की बंटवारा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी में खाता संख्या

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

84/84 में भोली देवी बेवा गुरदित्त सिंह के नाम 1.265 है. भूमि दर्ज है, परंतु बंटवारा आदेश में भोली देवी बेवा गुरदित्त सिंह के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं की गई है।

नायब तहसीलदार, चूनावढ द्वारा खाता संख्या 84/84 के 2.024 हैक्टेयर, खाता संख्या 85/86 के 3.667 हैक्टेयर व खाता संख्या 41/41 के 3.256 हैक्टेयर भूमि का लाभसिंह पुत्र श्री गुरदित्त सिंह, प्रताप सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह व रतीराम पुत्र श्री नन्दराम निवासीयान 27 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मध्य किया गया विभाजन संयुक्त खाता की कृषि भूमि के बंटवारे की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि यह केवल मात्र स्टांप शुल्क बचाया जाकर राजस्व हानि की गई है। नायब तहसीलदार (भू.अ.), चूनावढ के बंटवारा आदेश दिनांक 21.12.2004 द्वारा खाता संख्या 84/84 के 2.024 हैक्टेयर, खाता संख्या 85/86 के 3.667 हैक्टेयर व खाता संख्या 41/41 के 3.256 हैक्टेयर भूमि का किया विभाजन कानूनन गलत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार (भू.अ.), चूनावढ़ के बंटवारा आदेश दिनांक 21.12.2004 को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार (भू.अ.), चूनावढ़ को इस निर्देश के साथ रिमांड की जाती है कि रेस्पोडेंट्स को तलब किया जाकर राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित स्टांप शुल्क/पंजीयन शुल्क वसूल कर विधिवत सुनवाई की जाकर पुनः आदेश पारित किया जावे। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर एवं नायब तहसीलदार (भू.अ.), चूनावढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एंव रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner